Monday, 20 December, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
12-8-92
Forwarded
On 15-2-8
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28, सोमवार, 20 दिसम्बर, 1971/29 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 28, Monday, December 20, 1971/Agrahayana 29, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	1—5
पुर:स्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced ...	5—6
(एक) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक	1. Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill ...	5
(दो) समाचार पत्र (मूल्य नियंत्रण) विधेयक	2. Newspapers (Price Control) Bill ...	6
राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक	Prevention of Insults to National Honour Bill	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार	Motion to agree to Rajya Sabha Amendment ...	6—7
न्यायालय अवमान विधेयक	Contempt of Courts Bill ...	7—17
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	7
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	7—8,12—14
श्री माधुर्य्य हालदार	Shri Madhuryya Halder	8—9
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	9—10
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	10—12
खंड 2 से 24 और 1	Clauses 2 to 24 and 1	14
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ...	14
श्री वी० के० कृष्णामेनन	Shri V. K. Krishna Menon ...	14—16
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	16—17
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	17
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	17
खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) विधेयक	Prevention of Food Adulteration (Extension to Kohima and Mokokchung Districts) Bill ...	17—21
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	17
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	17—18,20
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb ...	18
श्री रामसहाय पांडे	Shri R. S. Pandey ...	18
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai ...	18
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ...	18—19

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री॰ पी॰ स्वामिनाथन	Shri P. A. Saminathan ...	19
श्री आर॰ वी॰ बड़े	Shri R. V. Bade	19
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	20
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	20
सभा का कार्य	Business of the House	21
विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर करना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक	Departmental Inquiries (Enforcement of Attandance of Witnesses and Production of Documents) Bill ...	22—24
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	22
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	22,25
श्री आर॰ वी॰ बड़े	Shri R. V. Bade	24
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	23
श्री मूलचन्द्र डागा	Shri M. C. Daga	22—23
श्री एम॰ कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundram ...	23—24
श्री जे॰ एम॰ गौडर	Shri J. M. Gowder	24—25
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	26
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ...	26
राजनयिक संबंध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक	Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill	26—29
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	26
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	26—28
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत	Motion to refer to Select Committee—Adopted ...	28—29
श्री एच॰ एन॰ मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ...	28
खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 में संशोधन करने के बारे में प्रस्ताव अस्वीकृत	Motion Re. Modification of Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1971—Negatived ...	29—32
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	29—31,32
श्री एम॰ रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ...	31
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit ...	81—32

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 20 **दिसम्बर**, 1971/29 **अग्रहायण**, 1893 (**शक**)
Monday, December 20, 1971/29 Agrahayana, 1893 (Saka)

लोक सभा दस बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई।

The Lok Sabha met at three minutes past Ten of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री एस० मोहन कुमारमंगलम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(एक) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1311/71]**

गुजरात और मैसूर राज्य विधान मंडलों (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिनियमों की प्रतियाँ

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं गुजरात तथा मैसूर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) बम्बई मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 9), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बम्बई मोटरगाड़ी (यात्रियों पर कर) (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 10), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) बम्बई मोटरगाड़ी कर (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 11), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) बम्बई स्टाम्प (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 12), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(पाँच) गुजरात विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 13), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) मैसूर मनोरंजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 14), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) मैसूर मोटरगाड़ी (यात्रियों तथा माल पर कर) (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 15), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) मैसूर मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 16), जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) मैसूर स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 17), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) मैसूर विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1971 (राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या 18), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1312/71]**

दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शहनवाज खां : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च, 1970 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दुर्गापुर, के 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, दुर्गापुर, का 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1313/71.**]

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1971.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1654 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1314/71.**]

फिल्म वित्त निगम लिमिटेड की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ :

(एक) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1315/71.**]

गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्पादन (दूसरा संशोधन) नियम, 1971

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : मैं गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा को खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्पादन अधिनियम, 1963 की धारा 28 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात उत्तरजीवी अन्य संक्रामण उत्पादन (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच एम—4125 एम–जी एस ए–1071/86175–त्राई में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० — 1316/71.**]

अतारांकित प्रश्न संख्या 6719 के 3 अगस्त, 1971 को दिये गए उत्तर को शुद्ध करने के लिए विवरण

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं औद्योगिक गृहों में वृद्धि के बारे में श्री बी० के० दास चौधरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 6719 के 3 अगस्त, 1971 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए तथा उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1317/71.**]

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 731 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी परिवार पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1252 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1488 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1318/71.**]

बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1947 के अंतर्गत गुजरात सरकार की अधिसूचनाएँ

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृत विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1947 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत, गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) बम्बई प्राथमिक शिक्षा (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या के/एस/एच 2847/पी० ई० ए०/1470–26317–के० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बम्बई प्राथमिक शिक्षा (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1970 जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या के एस एच 3383/पी० आर० ई०–1069/73395–के० में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1319/71.**]

संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

समाचार-पत्र (मूल्य नियंत्रण) विधेयक

NEWSPAPERS (PRICE CONTROL) BILL

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि समाचार-पत्रों के मूल्यों का, जन सामान्य के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार-पत्र विद्यमान स्थिति में, प्रभावी जन-संचार माध्यम के रूप कार्य करते रहें, नियंत्रण करने का और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समाचार-पत्रों के मूल्यों का जन सामान्य के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाचार-पत्र विद्यमान स्थिति में, प्रभावी जन-संचार माध्यम के रूप में कार्य करते रहें, नियंत्रण करने का और उचित मूल्यों पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं श्री एफ० एच० मोहसिन की ओर से यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राज्य सभा द्वारा राष्ट्र-गौरव के अपमान का निवारण करने वाले विधेयक में किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

"खण्ड 2

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 1–2 में,

"सरकार के प्रति घृणा, अवमान या अप्रीति प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना' शब्दों का लोप किया जाये।"

"कि राज्य सभा द्वारा राष्ट्र गौरव के अपमान का निवारण करने वाले विधेयक में किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

"खण्ड 2

कि पृष्ठ 2 पंक्ति 1–2 में

'सरकार के प्रति घृणा अवमान या अप्रीति प्रदीप्त किये बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किये बिना' शब्दों का लोप किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन पर सहमति प्रदान की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन पर सहमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

न्यायालय अवमान विधेयक

CONTEMPT OF COURTS BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कतिपय न्यायालयों की न्यायालय के अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति को परिभाषित और परिसीमित करने और उनकी तत्संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

न्यायालय अवमान संबंधी वर्तमान कानून को अपर्याप्त तथा असंतोषजनक समझा गया था, जिसमें मुख्यत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता संबंधी उपबंध थे। इसी बात को ध्यान में रखकर 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, जिसके सभापति अतिरिक्त महान्यायकारी श्री सान्याल थे। समिति ने मामले के सभी पहलुओं का गम्भीरता से अध्ययन किया था तथा उसकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इससे पहले सरकार ने राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के विचारों पर भी विचार किया था। उसी आधार पर सभा में न्यायालय अवमान विधेयक, 1960 प्रस्तुत किया गया था।

उस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया था। वर्तमान विधेयक संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने संयुक्त समिति की कुछ सिफारिशों को इस कारण स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनसे संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के उपबंधों का उल्लंघन होता था।

सभा के समक्ष वर्तमान विधेयक राज्य सभा में स्वीकार किया जा चुका है। इस विधेयक में अवमान से संबंधित उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों पर विचार किया गया है। मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष विचार करने लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : यह विधेयक वर्गभेद के दृष्टिकोण को रखकर लिया गया है। भिन्न दृष्टिकोण और विचारधारा के लोग न्यायालयों के बारे में भिन्न विचारधारा रखते हैं किन्तु हमारे दल की विचारधारा को, न्यायालय का अवमान समझा जाता है। न्यायालय जनता की उस विचारधारा का, जिसमें न्यायालय की आलोचना की जाती है, गलत अर्थ लगाते हैं तथा वे जनना की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। आज न्यायालय एक विशेष वर्ग से सम्बद्ध है तथा न्यायाधीश उस वर्ग का पक्षपात करते हैं तथा शेष जनता और गरीबों की उपेक्षा करते हैं। अतः मेरे विचार से न्यायालयों की आलोचना करना निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिये तथा जनता को यह हक होना चाहिए कि वह न्यायालय के बारे में जो अनुभव करे, उसे कह भी सके। आज यह स्थिति है कि सामान्य नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता।

कुछ अन्य कारण थे जिनसे न्यायालयों की आलोचना होनी चाहिए। वर्ष 1962 से 65 तक मौलिक अधिकार छीन लिये गये तथा हमारे नेताओं को जेल भेज दिया गया। हमने न्यायालयों के द्वार खटखटाए किन्तु हमें किसी से सुरक्षा न मिली। न्यायालयों ने हाल में संसद के कुछ अधिनियमों को अवैध बना दिया है। उन्होंने जोतदार और जमीदारों के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की। श्रमिकों की माँगों को ठुकरा कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला दिया। इन सब कारणों से जनता के हृदय में न्यायालयों के प्रति सम्मान समाप्त होता जा रहा है क्योंकि वे जनता की भावनाओं का आदर न करके कानूनों की प्रतिकूल व्याख्या करते हैं।

सत्तारूढ़ दल के कार्यों के कारण भी जनता में न्यायाधीशों के प्रति असम्मान उत्पन्न होता है। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब केन्द्र में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री थे, तब उनके भाई श्री रामप्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक न्यायाधीशों के आचरण अथवा उनकी नियुक्ति के विषय में नहीं है।

श्री माधुर्य्य हालदार : कांग्रेस मंत्रिमंडल के एक अन्य सदस्य को भी जज नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जनता और न्यायाधीश सभा की कार्यवाही को पढ़ते हैं। इसीलिए मैं इन बातों की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें यह भी विदित होगा कि उस समय अध्यक्ष कौन था। संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

श्री माधुर्य हालदार : इसके अतिरिक्त परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि इसके अन्तर्गत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दण्ड दे सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को एक बार रेडियो पर कुछ नीतियों का विश्लेषण करते हुये न्यायालय अवमान के लिए दोषी ठहराया गया था। पत्रकारों आदि पर इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय अवमान का प्राय: आरोप लगाया जाता है।

मेरा सुझाव है कि न्यायालय अवमान की वही परिभाषा देनी चाहिये जो ओस्वाल्ड ने अपनी कांटेम्पट ऑफ कोर्ट नामक पुस्तक में दी है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सभी अवमानों को निपटाया जा सकता है अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यह विधेयक वस्तुत: सराहनीय है क्योंकि इसके अन्तर्गत न्यायालय अवमान की निश्चित परिभाषा दी गई है। संविधान बनाने के पश्चात् विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों और विचार स्वातंत्र्य का जब भी न्यायालय अवमान के साथ विरोध होता है तो उस समय न्यायालयों को ऊँचा स्तर दिया जाना चाहिये तथा उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिये।

उक्त अवमानों के होने पर भी इस कानून की विभिन्न व्याख्या की जाती थी तथा उससे भ्रम उत्पन्न होता था। अत: इस विधेयक में न्यायालय आवमान की परिभाषा देकर उस भ्रांति को दूर किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि न्यायालय अवमान के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा उस मामले में क्या दण्ड दिया जायेगा।

इस कानून में मूलभूत सिद्धांत पुराने ही रखे गये हैं अर्थात अभियोगी को अपनी सुरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है तथा जिन मामलों को पहले न्यायालय अवमान नहीं माना गया है, उनको अब भी नहीं माना जायेगा।

इस विधेयक में दस्तावेजों के वितरण के संबंध में आपराधिक मन:स्थिति का एक नया विचार रखा गया है। खण्ड 3 (3) के अन्तर्गत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दस्तावेजों के वितरण के संबंध में यह नहीं जानता अथवा इस बात के कारण हैं कि वह नहीं जानता तो उसके कार्य को न्यायालय का अवमान नहीं माना जायेगा। मैं यह नहीं समझ सका कि जब आपराधिक मन:स्थिति को न्यायालय का अवमान नहीं माना जाता हो, इस भेद को रखने की क्या आवश्यकता थी।

समाचार-पत्रों और पुस्तक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशित दस्तावेजों के बारे में भी भेद किया गया है। यदि आपराधिक मन:स्थिति को दण्डनीय अपराध माना गया है तो प्रत्येक दण्डनीय अपराध को चाहे वह किसी प्रकार किया जाय, समान रूप से निपटाया जाना चाहिये तथा उसमें भेद नहीं किया जाना चाहिये।

पीठासीन अधिकारी के समक्ष किये गये न्यायालय के अवमान के विरुद्ध कार्यवाही किया

जाना उचित है। किन्तु कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी से साक्ष्य नहीं माँगा जायेगा। उसके द्वारा दिये गये विवरण को साक्ष्य ही माना जायेगा।

परन्तु यह विधि-सम्मत नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है क्योंकि हम अब तक इस नियम को मानते रहे हैं कि अपराधी को उसके विरुद्ध अभियोग सिद्ध किए जाने से पूर्व अभियोगी से जिरह करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसलिए यह बात सर्वथा अमान्य है।

तीसरी बात यह है कि यह कहा गया है कि सिविल अवमानन के मामले में किसी व्यक्ति को सिविल जेल में ही दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु जब आपराधिक अवमानन किया जाता है तो उसे कहीं अन्यत्र भी सजा दी जा सकती है। ऐसा भेदभाव समझ में नहीं आता। सिविल अवमानन वह होता है, जहाँ न्यायालय के आदेश की जान बूझकर अवज्ञा की जाती है। अतः न्यायालय अवमानन अत्यन्त गम्भीर अपराध है और ऐसे अपराधी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए यह भेदभाव अवांछनीय है और मंत्री महोदय को इस मामले की जाँच करनी चाहिए। यहाँ एक उपबन्ध है जिसके अनुसार न्यायालय के अवमान संबंधी कार्यवाही महाधिवक्ता अथवा उसकी इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरम्भ की जा सकती है। यह उपबंध तो बड़ा खतरनाक है। ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति को राजनीतिक नियुक्ति मानकर उसका प्रतिवाद किया गया है। क्या लोगों का यह भी अधिकार नहीं है कि वह उच्च न्यायालय में जाकर वहाँ उनका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करायें कि अवमान किया गया है? अभी तक तो यही नियम रहा है। क्या इस उपबंध का यही आशय है कि यदि कोई मंत्री अवमान करे तो उस पर महाधिवक्ता के माध्यम से परदा डाल दिया जाये और मंत्री को इस अपराध का दण्ड न दिया जाये? यह अधिकार महाधिवक्ता को न दिया जाये अपितु यह अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए। अतः इस उपबंध विशेष के द्वारा वर्तमान कानून में परिवर्तन करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे अवमान करने के अपराधी व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जा सकेगा, यदि यह अवमान उस व्यक्ति विशेष ने किया हो, जिसका महाधिवक्ता पर अधिकार है।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किए गये अवमान के मामले में तुरन्त कार्यवाही की जा सकती है और अपराधी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये गये अवमान के मामले में अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि उसे नजरबन्द नहीं किया जा सकता। क्या यह भेदभाव वैध है? यह भेदभाव सर्वथा अनावश्यक है क्योंकि न्यायपालिका का अवमान अपराध है और न्यायपालिका की सुरक्षा की जानी चाहिए और उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए चाहे अवमान अधीनस्थ न्यायालय का किया गया हो अथवा उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय का। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन पहलुओं पर विचार किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे अपना मत व्यक्त करने के लिए समय दिया जाए। मैं संयुक्त समिति का सदस्य था और मैंने अपनी असहमति संबंधी कार्य विवरण दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आपको क्या शंका है? आपकी असहमति संबंधी कार्य-विवरण तो पहले से ही सदन के समक्ष है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने उसमें लिखा है कि न्यायालय अवमान कानून इस देश में ब्रिटिश शासन की देन है जिससे कि उस समय ब्रिटिश शासकों को सुविधा मिलती थी। परन्तु अब भी यहाँ कुछ न्यायाधीश चाहते हैं कि उनके निर्णयों पर जरा भी आक्षेप न किया जाये। वे कुछ भी चाहे कह सकते हैं किन्तु जब कभी संबंधित व्यक्ति अथवा संगठित राजनीतिक दलों द्वारा उनके कतिपय निर्णयों के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो हमें तुरन्त कहा जाता है कि इससे न्यायालय का अवमान हुआ है। लोगों को इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे न्यायाधीशों और उनके निर्णयों की ईमानदारी के साथ आलोचना कर सकें।

मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायाधीश ने 25 वें और 26 वें संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। हालांकि विधेयकों को अस्वीकार कर दिया गया है परन्तु यह बात विवादग्रस्त है कि क्या पत्र लिखा गया है। अतः मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करें कि क्या उच्चतम न्यायाधीश ने कोई पत्र लिखा था और यदि हाँ, तो उसकी एक प्रति सभापटल पर रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को तो पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे विचारानुसार कुछ निर्णय प्रगतिशील नहीं होते जिन्हें कि हम अपनी राजनीति की भाषा में "प्रतिक्रियावादी निर्णय" कहते हैं, हमें इनकी आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

यहाँ विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति किसी मामले, जिस पर अन्तिम निर्णय दे दिया गया है, के गुण-दोष पर निष्पक्ष रूप में टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए न्यायालय के अवमान का दोषी नहीं होगा। परन्तु यहाँ 'निष्पक्ष' शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी है कि कोई व्यक्ति किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संबंध में उसके द्वारा सद्भावना से दिये गये वक्तव्य के बारे में न्यायालय अवमान का दोषी नहीं हो सकता। यहाँ पर "सद्भावना" की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं की गई है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन शब्दों की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए। खंड 16 भी स्पष्ट नहीं है। अतः इस विधेयक के संबंध में इतनी शीघ्रता नहीं बरतनी चाहिए। हमें कुछ समय और देखना चाहिए। बार कांऊंसिल के अध्यक्ष ने भी इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। न्यायाधीश भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। देश में परिवर्तन हो रहे हैं और यदि देश में इस तरह समाजवाद को क्षति होती गयी तो पता नहीं, न्यायालयों के विशेष निर्णयों के प्रति लोग अपनी असहमति अथवा अपना रोष कैसे व्यक्त कर पायेंगे।

समाचार पत्रों, जनता, व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों सभी के लिए न्यायालय अवमान विधि हौवा बना हुआ है। अतः इस विशेष विधि में व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता के औचित्य पर विचार किया जाये और आशा है कि न्यायपालिका को लोगों की इच्छा और अनुभूति का अवबोध होगा। वह दिन आयेगा जब सरकार व्यापक पैमाने पर सुधार करेगी और संसद और न्यायपालिका में संघर्ष होगा। यह तो सिद्ध ही हो चुका है कि संसद

सर्वोच्च है, उच्चतम न्यायालय नहीं। अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे संसदीय लोकतंत्र को सर्वोच्च मानकर प्रेस और जनता को 'न्यायालय अवमान' के हौवे से मुक्त करायें।

श्री एच० आर० गोखले : चर्चा से यह समझा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल न्यायाधीशों को अवमान से संरक्षण देना है। परन्तु इसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है अपितु, फौजदारी के मुकदमे में अभियुक्त और दीवानी के मुकदमे में वादी एवं प्रतिवादी को भी संरक्षण देना है। यह विधेयक इस सिद्धान्त पर आधारित है कि दीवानी न्यायालय में चल रहे किसी विवाद अथवा फौजदारी के मामले में चल रहे किसी मुकदमे के बारे में समाचार-पत्रों में अथवा न्यायालय से बाहर चाहे जो कुछ कहा जा रहा हो, उसका उस न्यायालय, जिसमें मुकदमा चल रहा है, के स्वतंत्र-निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इस विधेयक में न्यायाधीशों का ही संरक्षण किया गया है। निस्सन्देह न्यायाधीशों को इतना तो संरक्षण दिया जाना ही चाहिए कि उन्हें आलोचनाओं से मुक्त रखा जाये। इसलिए हमें इस विधेयक पर अधिक व्यापक रूप से विचार करना चाहिए।

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि इस विधेयक के संबंध में संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। इसमें सन्देह नहीं कि इस संबंध में कुछ विमतिटिप्पण दिए गये हैं फिर भी सरकार ने संयुक्त समिति के बहुमत को स्वीकार किया है और विधेयक में संयुक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। संयुक्त समिति की सिफारिशों को विधेयक में शामिल कर लिया गया है और जो सिफारिशें प्रारूप में बदली गई हैं, उनका उद्देश्य केवल यह है कि मामला स्पष्ट रहे और व्याख्या करने में कोई कठिनाई न हो। विधेयक में जो परिवर्तन फिर गये हैं, वे केवल सुधार करने के लिए किये गये हैं, जिससे विधेयक आलोचना से मुक्त रह सके और इसकी इस आधार पर आलोचना न की जा सके कि यह अस्पष्ट है।

न्यायाधीशों के व्यवहार के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि एक-आध मामले के अतिरिक्त जिसमें कि न्यायाधीशों द्वारा ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो अनावश्यक कही जा सकती हैं, और अपने कर्त्तव्य पालन में उन्हें वे टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए थीं, सामान्यता न्यायपालिका, अपने समक्ष मामलों पर अपना निर्णय देते समय ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करती जिनका कि प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

निर्णयों की आलोचना के संबंध में माननीय सदस्यों को पता है कि अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान है कि जब निर्णय दिया जाता है तो मामला न्यायालय में नहीं रहता है और अब उस निर्णय की निष्पक्ष आलोचना की अनुमति दी जा सकती है।

इस विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत वादी, अभियुक्त और न्यायपालिका की रक्षा करने संबंधी तीन उद्देश्य हैं। जिसमें अन्तिम निर्णय देने की शक्ति न्यायपालिका को दी जानी चाहिए। जब तक न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि यह दुर्भावना के अतिरिक्त और किसी बात से प्रेरित नहीं है कि यह ऐसे तथ्यों से प्रेरित है जिनका कोई आधार नहीं है, तो न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि आलोचना को प्रमाणित करने वाले तथ्य इसमें पाये जायें, यदि यह बताया गया है कि लोक-हित में किसी स्थिति को बताने के सिवाय न्यायालय का अवमान

करने का कोई आशय नहीं है तो यह बात अलग है। हाल ही में एक मामला हुआ है जिसमें एक माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी के मामले को न्यायालय में ले जाया गया, परन्तु उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि हमें इतना सम्वेदनशील नहीं होना चाहिए अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह न्यायालय के अवमान का मामला नहीं है। अतः हमें किसी न्यायाधीश के किसी मामले में विशेष व्यवहार के लिए इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें इस आधार पर न्यायाधीशों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से बचाया नहीं जाता तब तक उनसे स्वतंत्र, उचित एवं निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह देखा गया है कि जब कभी भी किसी न्यायाधीश की सही आलोचना की गई है, उसने स्वयं को सुधारा है किन्तु यदि किसी न्यायाधीश को अपनी गलती का अहसास नहीं होता तो उसे सुधारने के कई अन्य तरीके भी हैं। अतः मुकदमे की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। यही इस विधेयक का आधारभूत तथ्य है।

यह विधेयक संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुकूल है।

संविधान के अनुच्छेद 129 में न्यायालयों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है तथा उसमें न्यायालय का अवमान करने वाले व्यक्ति के लिए दण्ड की भी व्यवस्था है। न्यायालय के अधिकारों की रक्षा संविधान के दो उपबंधों द्वारा की गई है। हम केवल ऐसा कानून लाना चाहते हैं जोकि संविधान के उपबंधों के अनुकूल हो। अपील करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि यदि अपील दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी जानी है तो इसे एक न्यायाधीश के हवाले करने का क्या अर्थ है? जिस बात पर ध्यान नहीं दिया गया वह यह है कि उपबंध में कहा गया है कि अपराधिक अवमान का मामला दो न्यायाधीशों द्वारा अवश्य सुना जाना चाहिए किन्तु इसमें यह नहीं कहा गया कि दीवानी अवमान का मामला एक न्यायाधीश नहीं सुन सकता अतः अपील करने के अधिकार में दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामले आ जाते हैं। अभियुक्त यदि सिंगिल बैंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह डिवीजन बैंच और उच्चतम न्यायालय तक अपील कर सकता है किन्तु न्यायिक आयुक्त न्यायालयों के मामले में एक अपवाद रखा गया है क्योंकि अधिकांश न्यायिक आयुक्त न्यायालयों में केवल एक ही न्यायिक आयुक्त होता है। अतः उन न्यायालयों में दो व्यक्तियों अर्थात दो न्यायिक आयुक्तों से निर्णय कराना असंभव है किन्तु अभियुक्त को इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय को अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है। यह दो पूर्णतः परस्पर विरोधी मत हैं। एक ओर यह कहा गया है कि भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता हो तथा न्यायालय अवमान जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर यह कहा गया है कि व्यक्ति को अवमान के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए। अब इस उपबंध के बीच का रास्ता अपनाया गया है कि यदि उच्च न्यायालय का उच्चतम विधि अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि यह मालमा न्यायालय अवमान के लिए मुकदमा चलाने हेतु प्रत्यक्षतः ठीक है तो उनके आदेशानुसार न्यायालय में अवमान के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यह उपबंध इस कानून में पहली बार नहीं आए हैं। महाधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता में इसे देखा है। कई मामले तो महाधिवक्ता के कहने पर शुरू हुए हैं और महाधिवक्ता से

यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी कार्यवाही करेंगे, वह जनता के हित के लिए होगी। इसमें उनका कोई स्वार्थ निहित होगा।

मेरे विचार में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कतिपय न्यायालयों के अवमान के लिये दण्ड देने की शक्ति को परिभाषित और परिसीमित करने और उनकी तत्संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : चूँकि खंडों पर कोई संशोधन नही है अत: मैं सभी खंडों को मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 24, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।

"Clauses 2 to 24, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 से 24, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2 to 24, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री वी० के० कृष्णमेनन (त्रिवेन्द्रम) : मैं विधि मंत्री की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन नागरिकों को, जिनके मामले विशेषकर, आपराधिक मामले, न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं, समाचार-पत्रों की टिप्पणियों से बचाने के लिए कोई उपबन्ध होना चाहिए और यदि अनुपस्थिति में किए गए अवमान के लिए कोई ऐसा उपबन्ध बनाया जाता है कि न्यायालय के विचाराधीन मामलों के विषय में मुकदमें की कार्यवाही को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी नहीं की जाए, तो ऐसे उपबन्ध का समर्थन किया जा सकता है अन्यथा ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँगी जबकि समाचार-पत्र ही मुकदमों की सुनवाई करने लगेंगे।

मुझे इस बात का दुख है कि केरल के एक मामले के बारे में कुछ गलत उल्लेख किया गया है। जिस व्यक्ति को न्यायालय के अवमान का दोषी ठहराया गया है, उसने वस्तुत: ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि न्यायालय का अवमान होता है। उन्होंने यह कहा कि न्यायाधीश वर्ग भेद से प्रभावित होते हैं क्योंकि वह एक विशिष्ट वर्ग से संबंध रखते हैं। कई उदारवादी एवं रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है। सम्बद्ध व्यक्ति ने किसी विशेष न्यायाधीश के बारे में कुछ नहीं कहा। न्यायाधीशों की अन्तश्चेतना में यह बात समाई रहती है कि वह विशिष्ट वर्ग से संबंध रखते हैं। अत: ऐसी स्थिति में यदि न्यायाधीश अभियोगी होने के साथ-साथ न्यायाधीश भी हो तो बात गंभीर हो जाएगी और तब किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति को न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के अवमान का दोषी ठहराया जा सकेगा। यदि मैं एक दो ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करूँ, तो मेरी बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। भारत के वैधानिक इतिहास में न्यायालय के अवमान का एक मामला लाला हर किशन लाल का है और यह मामला तब प्रिवी कौंसिल तक गया लेकिन इसका फैसला न्यायिक स्तर पर नहीं हो सका और अंत में इसे अन्य तरीकों से निपटाया गया। आज भी वही कानून लागू है।

संसार भर में अनेक मुकदमों में न्यायालय के अवमान की शक्ति के उपयोग का विरोध होता रहा है। ब्रिटेन जैसे देशों में बहुत ही कम न्यायाधीश छोटी बातों की ओर ध्यान देते हैं परन्तु हम नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति हमारे देश में भी है। जब न्यायालय के अवमान संबंधी कानून को हटाने का प्रयास किया गया तो क्या उत्तर दिया गया। एक प्रसिद्ध निर्णय में कहा गया है कि हो सकता है कि अन्य देशों में इस कानून की आवश्यकता न हो परन्तु उपनिवेशवादी देशों में इस कानून को नहीं हटाया जा सकता। अब विधि मंत्री उसी कानून को लागू करना चाहते हैं।

नम्बूदरीपाद मामले के संबंध में महाधिवक्ता पर व्यर्थ का आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली। यह बात उचित नहीं और ऐसे आक्षेप नहीं लगाने चाहिएं। यदि यह कानून नागरिकों की रक्षा करने के लिए बनाया जा रहा है तो हम मंत्री जी से सहमत हैं। परन्तु यदि यह कानून एक नागरिक की अपेक्षा एक न्यायाधीश की रक्षा करता है तो हम सरकार से यह पूछने के हकदार हैं कि इस कानून को बनाने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए देश में दण्ड विधियाँ हैं। न्यायाधीशों को किसी से भी अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों की रक्षा कई अन्य कानूनों से होती है। अत: अब इन उपबन्धों को जोड़ने की क्या आवश्यकता है ?

हमारी न्यायपालिका तुलनात्मक रूप में लोक प्रवृत्तियों से अलग रहती है। जब कभी बड़े-बड़े सामाजिक परिवर्तन होते हैं तथा बड़े तीखे-तीखे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यदि ऐसे में न्यायालय प्रत्येक शब्द की जाँच-पड़ताल करने लग जाए और कहे कि यह अवमान है, तो फिर वाक-स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती। न्यायाधीशों को महलों के अन्दर ही नहीं रहना चाहिए। मिथ्यावाद अपमान आदि के विरुद्ध कार्यवाही के लिए वे न्यायालय में जा सकते हैं। इस संबंध में संहिता में सभी उपबन्ध हैं। हमारी दण्ड विधि काफी कठोर है, सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें किसी फौजदारी के मामले पर कार्यवाही करनी शेष हो या किसी मामले पर टिप्पण किया

गया हो अथवा कोई ऐसा उपबन्ध हो जिसके अन्तर्गत अपील करने की गुंजाइश रखी गई हो। अन्य मामलों पर कारावास का अधिकार न्यायोचित नहीं है।

यह भी जान लेना चाहिए कि अवमान की कार्यवाही बहुत खर्चीली है और इसकी प्रक्रिया भी लम्बी है। अवमान अधिनियम का क्षेत्राधिकार इतना व्यापक नहीं होना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जैसी कि लाला हर किशन लाल के मामले में हुई थी, जिसमें कि मुकदमा वर्षों तक चलता रहा और वह दिवालिया हो गया।

यह कुछ और नहीं केवल न्यायपालिका के हाथ में दमन करने का एक उपकरण है। अन्ततः, न्यायपालिका को भी आलोचना का विषय माना जा सकता है और बनाना चाहिए। लिखित रूप में हम न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं। हम कहते हैं कि निर्णय अनुचित है। प्रतिदिन हम उच्च न्यायालयों में अपीलें करते हैं कि निचले न्यायालय का निर्णय अनुचित है। यह बात उस संदर्भ में कही जाती है तो इस संदर्भ में भी कही जा सकती है परन्तु समाचार-पत्रों में इसकी आलोचना नहीं की जा सकती है।

वर्तमान कानूनों में पहले ही पर्याप्त उपबन्ध हैं। हमें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिसका प्रयोग हर प्रयोजन के लिए किया जा सके। यह एक बहुप्रयोजनीय विधेयक है। इसे केवल न्यायिक प्रक्रियाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए तथा केवल ऐसे ही मामलों को न्यायालय अवमान के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए जिनमें या तो साक्ष्य में हेर-फेर किया गया है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर, जिस पर मुकदमा चल रहा हो लांछन लगाये गये हों। अतः मैं विधि मंत्री की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि समाचार-पत्रों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से की जाने वाली टिप्पणियों को रोकना चाहिए।

इस विधेयक का उद्देश्य हमारे मूलभूत अधिकारों अर्थात् वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को समाप्त करना है तथा समाज के स्वरूप और सरकार के विचारों के संबंध में शैक्षिक टिप्पणियों को रोकना है। यह अवचेतन मन की बातें हैं तथा इनको कानून अथवा न्यायाधीशों के अवमान अधिनियम के अधीन नहीं लाया जा सकता।

अतः यह उपाय केवल उन्हीं मामलों तक सीमित रखे जाने चाहियें जो मामले न्यायालय में निर्णयाधीन हैं या जिनसे नागरिक प्रभावित होते हैं। विधेयक में दिए गये उपबंध के अनुसार उचित टिप्पणियों को अवमान की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। टिप्पणी उचित है अथवा नहीं, इसका निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। अवमान लेख के नियम में दण्ड नियम की व्यवस्था की गई है और इन नियमों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। अतः हमें समाचार-पत्र की टिप्पणियों के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

SHRI R. V. BADE (Khargone) : In the days of British regime the judges considered themselves to be the supreme authority without any private prejudice but their prejudices were reflected in their judgement in the form of strictures, so the question whether a criticism is fair or unfair should be decided on certain principles and should not be left to the personal prejudices of the judges.

The punishment of fine upto Rs. 500 and imprisonment is very severe. If the courts

are given that power nobody will dare to express his opinion or publish any comment in the newspaper. There should be a provision in the Bill that if a person tenders an apology before any court, the matter should be dropped.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लूँगा। मैं केवल एक बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जब किसी विशेष निर्णय अथवा किसी विशेष मुकदमे पर टिप्पणी की जाये तो उस पर विचार किया जा सकता है किन्तु यदि कोई समाज की स्थिति पर राय व्यक्त करता है और इसे भी न्यायालय का अवमान समझ लिया जाता है तो देश में इस प्रकार कोई भी व्यक्ति मौलिक राय नहीं व्यक्त कर सकेगा। श्री नम्बूद्रीपाद ने समाज की स्थिति पर अपना मत प्रकट किया तो उन्हें न्यायालय के अवमान का दोषी ठहराया गया तथा एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति समाज की स्थिति पर राय व्यक्त करता है तो इसमें इस कानून के उपबंध लागू नहीं होने चाहियें। यदि कोई किसी विशेष मामले को लेकर न्यायाधीश के आचरण पर टिप्पणी करता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे और कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (EXTENSION TO KOHIMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्ष 1954 से पूर्व भारत में प्रत्येक राज्य ने खाद्य अपमिश्रण रोकने के संबंध में अपने कानून बनाये हुए थे, बाद में समूचे देश के लिए एक ही कानून बनाये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 पास किया गया था जो जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड में कोहिमा तथा मोकोकचुंग जिलों को छोड़कर

समूचे देश पर लागू किया गया था। बाद में संसद के दोनों सदनों ने एक विधेयक पास कर दिया है जिसके अनुसार यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया है। उस समय नागालैंड राज्य बना नहीं था। यह राज्य 1 दिसम्बर, 1963 से बना था। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि नागालैंड सरकार हानिकर और विषैले पदार्थों वाले अपमिश्रित और घटिया भोजन की बिक्री को रोकने के लिए कार्यवाही कर सके और जनसाधारण के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। नागालैंड ने प्रस्ताव किया है कि यह अधिनियम नागालैंड के कोहिमा और माकोकचुंग जिलों पर भी लागू किया जाये। इस विधेयक का उद्देश्य उसी प्रस्ताव को कार्यरूप देना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : देश के अन्य भागों में यह अधिनियम पहले से लागू है अतः इसमें विरोध करने की कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस अधिनियम से इस बीच खाद्य अपमिश्रण रोक सकी है या उसने अपमिश्रण कम करने के लिए कार्यवाही की है ? खाद्य अपमिश्रण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में खाद्य पदार्थों, दूध, सीमेंट, तेल, घी आदि सभी वस्तुओं में अपमिश्रण होता है। राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने एक मामले का पता लगाया था, जिसमें एक ठेकेदार कलकत्ता में सेना को प्रतिदिन 1500 लिटर अपमिश्रित दूध सप्लाई करता था। 31 जनवरी, 1971 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में यह समाचार प्रकाशित हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई थी ? मैं इस अधिनियम के विरुद्ध नहीं हूँ। परन्तु मैं चाहता हूँ कि इस कानून को अधिक सख्ती से लागू किया जाये।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : I support this Bill. The question of adulteration is related to the question of demand and supply. It also relates to profit and immoral trade practice. In my opinion people should be educated about the mode of adulteration and a sense of consciousness should be created in the public. They should boycott the persons who indulge in corrupt practices. Besides exhaustive arrangements should be made to get things examined.

MR. SPEAKER : I thought that this Bill will be passed in a minute. It is only an extension to a bill already passed.

SHRI JHARKHANDE RAI (Ghasi) : I am not in favour of such piece-meal legislations although I do not oppose it. I would like the Government to introduce a comprehensive bill to enforce the same throughout the country. The punishments envisaged in the bill should be made more deterrent. My second suggestion is that an act of adulteration should be treated as national offence.

***श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : अपमिश्रण का रोग गम्भीर रूप धारण कर रहा है। आज स्थिति यह कि हम जो कुछ भी खाते हैं, लगभग वे सभी वस्तुयें अपमिश्रित होती हैं।

* तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

इससे स्पष्ट है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ मामलों में छोटे दुकानदारों या खोंमचे वालों को दण्ड दिया गया है परन्तु बड़े-बड़े निर्माताओं और व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वे साफ बच जाते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। इस अधिनियम को सख्ती से लागू न किये जाने के कारण कदाचार करने वाले समाज विरोधी तत्व खुले आम अपमिश्रण करते हैं। कई मामलों में थोक विक्रेता अपमिश्रण करते हैं परन्तु खुदरा व्यापारियों को दंड दिया जाता है। सरकार को अपमिश्रण के मामलों की तह तक पहुँचना चाहिए और असली अपराधी को दंड देना चाहिये। यदि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए वर्तमान अधिनियम पर्याप्त नहीं है, तो सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

***श्री पी० ए० सामिनाथन्** (गोबीचेट्टिपलयम) : मूल अधिनियम में कितनी ही कमियाँ क्यों न हों, हम उन स्थानों पर उसके विस्तारण का स्वागत करते हैं, जहाँ वह अभी लागू नहीं है। आज सभी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण हो रहा है। अपमिश्रित खाद्य पदार्थों को खाने से कैंसर जैसे गम्भीर रोग पैदा होते हैं। यद्यपि यह अधिनियम 1954 में पास किया गया था परन्तु इसे सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया है। वर्ष 1968 में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना करके 25,09,289 रुपये की राशि एकत्र की गई थी। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। इस अधिनियम के अधीन 4,534 व्यक्तियों को दंड दिया गया था। जाँच करने के लिये 1,36,939 नमूने लिये गये थे और उनमें से 30 प्रतिशत नमूने अपमिश्रित पाये गये थे। यदि शेष 15 राज्यों से भी जाँच करने के लिये नमूने लिये जाते तो यह प्रतिशतता और भी बढ़ जाती।

इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति अब पंचायतों को भी हो गई है परन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त वित्तीय साधन हैं और न तकनीकी कर्मचारी हैं।

इस अधिनियम में घटिया खाद्य पदार्थों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बन्द डिब्बों में पड़े खाद्य पदार्थों पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप इन खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वाले लोग साफ बच जाते हैं। मंत्री महोदय को इन त्रुटियों को दूर करना चाहिए और इसको सख्ती से लागू करना चाहिए।

SHRI R. V. BADE (Khargone) : May I know whether food adulteration has been reduced or increased since the passage of Food Adulteration Act in 1954 ? I think it has increased. I have come to know that even to inspectors accept bribe from the shopkeepers. In view of that I want to suggest that only honest persons should be deputed to the tribal areas to which the act is being extended.

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री उमाशंकर दीक्षित : प्रत्येक सदस्य ने इस विधेयक का समर्थन किया है । माननीय सदस्यों ने अपमिश्रण के संबंध में जो भावनाएँ व्यक्त की हैं, मैं उनका आदर करता हूँ । मुख्य बात यह कही गई है कि दण्ड संबंधी उपबंधों को अधिक कठोर बनाना चाहिये और दूसरी बात यह कही गई है कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि मूल अधिनियम की सम्भावित त्रुटियों को दूर किया जा सके । इस मामले पर विचार करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के साथ विचार करूंगा । परन्तु राज्यों के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ही इस कानून को क्रियान्वित करना है । बल्कि संघ राज्य क्षेत्रों में भी स्थानीय प्रशासन को ही इसे क्रियान्वित करना होता है । फिर भी हम संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में राज्यों के साथ परामर्श करेंगे । गत संशोधन में दंड संबंधी उपबंधों को कठोर बनाया गया था और जहाँ पहले 6 महीने का दंड दिया जाता था, उसे बढ़ा कर 2 वर्ष कर दिया गया था ।

वास्तव में इस मामले का संबंध हमारे चरित्र से है । यदि उपभोक्ता वर्ग संगठन बना ले और जब कभी पता चले कि कुछ व्यापारी अत्यधिक अपमिश्रण करते हैं तो सूचना दिये जाने पर उनके विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अवश्य कार्यवाही की जायेगी और उसका अच्छा परिणाम निकलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार कर ले ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 1, अधिनियमन सूत्र क्षेत्र विधेयक का नाम वियधेक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 2, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : हम निश्चित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गये हैं। हमें कार्य-सूची को समाप्त करने के लिये अधिक समय तक बैठना होगा।

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : वर्तमान सत्र में हमें अनेक विधेयक पारित करने हैं। जैसे उपदान विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधेयक। राज्यों के गठन के बारे में भी कुछ संवैधानिक संशोधन हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : राजनयिक संबंध (वियना अभिसमय) विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसे आज पारित कर देंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम चर्चा किये बिना उस विधेयक को कैसे पारित कर सकते हैं। मैंने उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। इस पर गम्भीर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। विधेयक से होने वाले लाभ तथा हानियों के बारे में अवश्य चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि समिति अन्तर-सत्र के समय इस पर विचार कर सकती है।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : क्या हम यह समझें कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो ऐसा ही प्रतीत होता है।

विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेज का पेश किया जाना) विधेयक

DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) BILL

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कतिपय विभागीय जाँचों में साक्षियों के हाजिर कराने और दस्तावेजों के पेश किये जाने का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विभागीय जाँच करने के लिये जाँच अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। लेकिन उन अधिकारियों को ऐसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वे साक्षियों को उपस्थित करवा सकें अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करवा सकें। सरकारी कर्मचारियों को साक्षी के रूप में पेश करने में सामान्यतया कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती किन्तु जब गैर-सरकारी पक्षों को साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो वे जाँच अधिकारी के सामने उपस्थित होने में प्राय: हिचकिचाते हैं।

संथानम समिति ने यह सिफारिश की थी कि "उपयुक्त विधान द्वारा विभागीय कार्य-वाहियों में जाँच अधिकारियों को साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बुलाने तथा उन्हें बाध्य करने और दस्तावेज प्रस्तुत करा सकने के अधिकार दिये जाने चाहियें।"

यह विधेयक जाँच अधिकारियों के सम्मुख आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के विचार से प्रस्तुत किया गया है। अत: इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ये उपबन्ध विभागीय जाँच को शीघ्रता से पूरा कराने की दिशा में एक कदम है।

विधेयक के ये उपबन्ध साधारण हैं। अत: यह सोचा गया है कि इस विधेयक पर विचार करने में संयुक्त प्रवर समिति का समय नष्ट न किया जाये।

एक संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि पद के दुरुपयोग 'सत्यनिष्ठा' शब्द के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये क्योंकि यह संशोधन काफी व्यापक है, जिसमें पद के दुरुपयोग के उदाहरणों को सम्मिलित किया जाये। ऐसे दुरुपयोग भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपयुक्त मामलों में जाँच अधिकारियों को अपेक्षित अधिकार देने की शक्ति सरकार के पास आरक्षित की जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्षियों को बुलाने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने के लिए स्वविवेक उपयोग किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI R. V. BADE (Khargone) : I support this Bill because as a result of it, the difficulty of producing the witnesses before the Departmental Enquiry Committee will be

removed. There is a provision in the Bill that the Enquiry Committee will be provided with the Bank accounts of the accused. It is a Constitutional provision. I am of the opinion that other party or the advocate or the witness should also be allowed to see the Bank Accounts of the accused.

It should be seen that the Departmental Enquiry should be flawless.

There should not be any delay in the enquiry and defects in this connection should be removed.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अनेक वर्षों के पश्चात् संथानम समिति के प्रतिवेदन के एक मद को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक की बात समझ में नहीं आती । प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में अनेक पहलुओं से विचार किया गया है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, टकरू आयोग को धोखा देने के लिये दोहरी फाइलें बना रहा है तथा वरिष्ठ अधिकारी इस आयोग के समक्ष झूठी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपने सहयोगियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

नायक संबंधी मामला एक बहुत ही घृणित षडयंत्र था, जिसमें हमारे विभागों ने विदेशी कम्पनियों से षडयंत्र करके देश से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहर भेजी थी । इसके अलावा एक सरकारी क्षेत्र के उद्यम को, जिसमें जनता का हित होना चाहिये था, नष्ट कर दिया गया था ।

सरकार ने पंजाब में भ्रष्ट-कार्य करने वाले अकालियों के विरुद्ध तुरन्त जाँच आयोग की नियुक्ति कर दी थी । हम इसका स्वागत करते हैं । लेकिन जब हरियाणा में भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच आयोग स्थापित करने का मामला आया तो सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वहाँ सत्तारूढ़ दल की सरकार है । मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने मामलों में मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये संथानम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया । भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये गठित किसी भी आयोग का मैं समर्थन करता हूँ लेकिन दिखावे के लिये गठित किये गये सतर्कता आयोग का नहीं ।

SHRI M. C. DAGA (Pali) : Hon. Minister will not be able to tell even 5 percent cases in which enquiry might have been conducted in time and the culprits might have been punished. The Government want to have the power to compel the witnesses to appear before the Enquiry Committee through this Bill. We want that before the enquiry begins, all documentary and oral evidences should be collected and supplied to the person against whom the enquiry is being conducted and also to the other party. We often find that the enquiries are delayed due to the fact that the documents are not available. Necessary documents and evidence should be made available, otherwise the proposed measure will serve no useful purpose.

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् (तिरूचिरापल्ली) : जाँच अधिकारियों को गवाहों को हाजिर कराने तथा अभिलेखों को दिखाने के लिये बाध्य करने की शक्तियाँ प्रदान करने के बारे में हमें

कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि गैर-सरकारी अधिकारी साक्ष्य देने से क्यों हिचकिचाते हैं ।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार को इस बारे में जाँच करनी चाहिये ।

जिस तरीके से विधेयक तैयार किया गया है, इससे विभागीय जाँच न्यायिक जाँच का रूप ले लेगी तथा वकीलों को अनेक अवसर मिल जायेंगे और जहाँ तक संभव होगा, वे जाँच को लटकाये रखेंगे ।

यह बात समझ में नहीं आती कि जाँच अधिकारी के क्षेत्राधिकार में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक के अभिलेख क्यों शामिल नहीं किये गये हैं ? यह संभव है कि बैंक में दोषी व्यक्ति के लेखे निर्णय करने में महत्वपूर्ण सिद्ध न हों । अतः उक्त अभिलेखों को जाँच के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखना चाहिये । विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि संथानम समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये व्यापक विधान बनाना चाहिये ।

* **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : संथानम समिति की नियुक्ति देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिये बहुत समय पूर्व की गई थी और इस समिति ने कई वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था । आश्चर्य की बात है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों को इस विधेयक में शामिल नहीं किया है ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जाँच के अन्तर्गत एक अधिकारी के विरुद्ध लोग स्वेच्छा से साक्ष्य देने नहीं आते । उन्हें इस बात की आशंका रहती है कि यदि उस अधिकारी के विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वह अधिकारी साक्ष्य देने वाले व्यक्ति से बदला लेगा । स्वेच्छा से साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है । सरकार जब तक लोगों के दिमाग से इस भय को दूर करने का प्रयास नहीं करेगी, वह देश में भ्रष्टाचार को दूर करने में समर्थ नहीं होगी । इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये अन्यथा यह विधेयक उपयोगी नहीं होगा ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में असमर्थ रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि जाँच अधिकारी, गैर-सरकारी गवाहों को बुलाने से तो दूर रहे, सरकारी दस्तावेजों को भी पेश करवाने में असमर्थ हैं । यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सरकारी तन्त्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आशा करना है, तो सरकार को आयोग के कार्य में पूरा सहयोग देना होगा । जब सांविधिक रूप से गैर-सरकारी पक्ष को साक्षी देने के लिये बुलाने की शक्तियाँ दी जाती हैं, तो यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोग जिस भी अधिकारी की जाँच करना चाहे, उसे तत्काल आयोग के सम्मुख उपस्थित होना चाहिये जिससे आयोग उक्त अधिकारी अथवा अधिकरियों के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले सके ।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

* Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

मैं मंत्री महोदय से अपील करूँगा कि प्रबंधकों द्वारा श्रम-विवाद संबंधी अभिलेखों को अनिवार्य रूप से पेश करने से संबंधित कोई कानून सदन में पेश करें। प्रबंधक मजदूरों के हितों के प्रति कठोरता से व्यवहार करते हैं। यह बात सुनिश्चित की जाये कि पीड़ित श्रमिकों को अभिलेखों का अध्ययन करने की सुविधा मिले तथा प्रबंधक इसमें किसी प्रकार की बाधा न डालें। जाँच संस्था के सामने साक्ष्य देने वालों को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : संथानम समिति की रिपोर्ट की चर्चा यहाँ हुई है। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली गयी हैं और लागू कर दी गयी हैं।

सभी विभागीय जाँच निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती हैं, जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारी किसी अपने सह-कर्मचारी को अपने मामले के बचाव के लिये नियुक्त कर सकता है। सरकारी कर्मचारी को विशेष अनुमति लेने पर वकील करने का भी अधिकार है। बैंक लेखों का भी प्रश्न उठाया गया है। रिर्जव बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियमों में यह उपबंध है कि बैंक को गोपनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। जब तक इन अधिनियमों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इस विधेयक के अन्तर्गत गोपनीय दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

यह ठीक है कि विभागीय जाँच में काफी समय लगता है। साक्षियों के समय पर उपस्थित न होने से यह विलम्ब होता है। इस कमी को दूर किया जायेगा और जाँच कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जायेगा। श्री नायक के मामले का भी श्री बसु ने उल्लेख किया है। सदन इस बात को जानता है कि इस मामले में प्रारम्भिक जाँच न्यायाधीश जे० एन० टकरू द्वारा की गई थी और आरोपों की जाँच करने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में विभागीय जाँच के लिए एक विशेष आयुक्त जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं।

ऐसा भी कहा गया है कि सतर्कता आयोग ने कुछ भी नहीं किया है। यह कहना ठीक नहीं है। 1965 में 2177, 1966 में 2473, 1967 में 2460 और 1968 में 2169 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। यह आयोग निश्चय ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रहा है और इसका कार्य बड़े सुचारु ढंग से चल रहा है। इसके कार्य में सुधार के लिए दिये गये विशिष्ट सुझावों पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। श्री डागा ने कहा कि दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त की जा रही है परन्तु ये दस्तावेज सरकार के पास होते हैं। ये सभी सरकार के पास नहीं होते और भ्रष्टाचार के आरोपों के मुकदमों में इन दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। श्री जे० एम० गौडर ने जो प्रश्न उठाया है, वह काफी उलझन वाला है। उनका कहना है कि मुकदमों में अधिकारियों के विरुद्ध पेश होने वाले साक्षियों से कुछ अधिकारी प्रतिशोध लेंगे। हमें नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जोरदार शब्दों में कहना चाहिये अन्यथा भ्रष्टाचार को समाप्त न करने का प्रश्न नहीं उठ सकता। अतः नागरिकों को कुछ जोखिमें उठा कर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय विभागीय जाँचों में साक्षियों के हाजिर कराने और दस्तावेजों के पेश किये जाने का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 7, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

"खंड 2 से 7, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।"

Clauses 2 to 7, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

राजनयिक संबंध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक

DIPLOMATIC RELATIONS (VIENNA CONVENTION) BILL

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का अभिप्राय 1961 की राजनयिक संबंधों के संबंध में हुए वियना कन्वेन्शन के उपबन्धों को, जिन्हें भारत ने 15 अक्तूबर, 1965 को स्वीकार किया था, विशेषकर हमारे कानून के अन्तर्गत लागू किये जाने वाले उपबन्धों को लागू करना है। वियना कन्वेंशन अति प्राचीन-काल से चले आ रहे सर्व स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियमों और परम्परा का संक्षिप्त रूप हैं, परन्तु कुछ बातों में राज्य परम्परा एक समान नहीं है। इसमें सामान्य रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के बारे में बताया गया है, जिसमें राजनयिक मिशनों के कार्य, आकार और स्थान सम्मिलित हैं। इसमें ऐसे विशेषाधिकारों और सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, जो एक राजनयिक मिशन को अवश्य ही देने चाहियें, अर्थात इसमें यह भी उपबन्ध किया गया है कि एक राजनयिक एजेन्ट के परिवार, राजनयिक मिशन के अन्य कर्मचारियों के क्या विशेषाधिकार और सुविधाऐं हैं तथा विशेषाधिकारों और सुविधाओं की कितनी अवधि है और तीसरे देश के, जिसमें से राजनयिक एजेन्ट गुजर रहा हो, क्या कर्तव्य हैं। इस कन्वेन्शन में एक राजनयिक मिशन और इसके सदस्यों को अपना स्वागत करने वाले देश के प्रति दायित्वों के संबंध में भी कुछ उपबंध किये गये हैं, इसमें राजनयिक मिशनों आदि पर एक सशस्त्र संघर्ष के संबंध में उपबन्ध भी हैं।

इन अधिकांश अनुच्छेदों को कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनको राजनयिक मिशनों की स्थापना करने, जारी रखने और समाप्त करने संबंधी जैसे कार्यों को कार्यवाही के द्वारा पूरा किया जा सकता है। कुल मिलाकर सब 18 अनुच्छेद हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है और इनको इस विधेयक की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। यदि वियना कन्वेंशन के उन उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन किया जाये और स्वीकृत किया जाये जो अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो विधेयक के खंड 2 में केन्द्रीय सरकार के लिये यह शक्ति आरक्षित है कि वह भविष्य में राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है। खंड 3 में, अनुसूची के उपबन्धों को ऐसे रूपभेद के साथ जैसा आवश्यक हो, राजनयिक मिशन तथा ऐसे राज्य के सदस्यों पर जो वियना कन्वेंशन, 1961, में शामिल न हों, किन्तु जिसके साथ भारत का अलग समझौता, कन्वेन्शन अथवा अन्य करार हुआ हो, जिसमें इस प्रकार के विशेषाधिकार और छूट पारस्परिक आधार पर दिये गये हों, लागू करने की शक्ति केन्द्रिय सरकार को दी गई है।

जिन मामलों में अन्य देश के सामान्य विशेषाधिकार अथवा छूट जो वियना कन्वेन्शन के अन्तर्गत हमारे विदेशों में स्थित राजनयिक मिशन और उनके सदस्यों को दिये जाने चाहियें, नहीं देते हैं, उनमें पारस्परिक आधार पर उपयुक्त और जवाबी कार्यवाही करने के लिए उपबंध किया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्य के भारत में स्थित राजनयिक मिशन से या इसके सदस्यों से, इस विधेयक में दिये गये विशेषा-धिकार और छूट वापस ले सकती है।

यद्यपि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वियना कन्वेंशन के उन उपबंधों को भारत में कानून का रूप देना है, जो राजनयिक मिशन और इसके सदस्यों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से मुक्ति और करों आदि से छूट दिलाने से संबंधित मामलों जैसे, कानूनी उपचार के लिए एक राजनयिक

एजेन्ट को किस प्रकार छूट दी जाये तथा विदेशी कार्यालय के प्रमाणपत्र किस सीमा तक प्रामाणिक हैं, के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन (1961) को प्रभावी करने और इससे संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात :

1. डा० हेनरी आस्टिन
2. श्री बी० आर० भगत
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री मुरासोली मारन
6. श्री नाथूराम मिर्धा
7. श्री समर मुखर्जी
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री एन० के० पी० साल्वे
10. श्री सन्त बक्स सिंह
11. श्री एस० एन० सिंह
12. श्री सुरेन्द्र पाल
13. सरदार स्वर्ण सिंह
14. श्री अटल बिहारी वाजपेयी; और
15. श्री एच० एन० मुकर्जी

और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 15 सदस्य हों अर्थात :

1. डा० हेनरी आस्टिन
2. श्री बी० आर० भगत
3. श्री आर० डी० भण्डारे
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री मुरासोली मारन
6. श्री नाथूराम मिर्धा
7. श्री समर मुखर्जी
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री एन० के० पी० साल्वे
10. श्री सन्त बक्स सिंह
11. श्री एस० एन० सिंह
12. श्री सुरेन्द्र पाल
13. सरदार स्वर्ण सिंह
14. श्री अटल बिहारी वाजपेयी; और
15. श्री एच० एन० मुकर्जी

और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम 1971 में संशोधन करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. MODIFICATION OF PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (SECOND AMENDMENT) RULES, 1971.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा संकल्प करती है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसरण में खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 में, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 992 में प्रकाशित हुए थे और 9 अगस्त, 1971 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें, अर्थात् :

(एक) नियम 3 में खण्ड (1) में मद 22क के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये:

"22ख.	मिठाई	250 ग्राम
	काफी	200 ग्राम
	रंग मिलाने वाली वस्तुएं	200 ग्राम

(दो) नियम 3 में, खण्ड (6) में उप खंड (क) में, खण्ड (द) के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये :

(घ) जलपान तथा अल्पाहार"।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव का उद्देश्य खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में दो छोटे-छोटे संशोधन करना है। सदन इस बात को मानेगा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

पहले संशोधन में अनुसूची में की गई वस्तुओं की जोकि विश्लेषक को भेजी जायेगी, में "22ख, मिठाइयाँ, काफी, रंजक पदार्थ" शामिल करने की बात कही गई है। दूसरे संशोधन द्वारा "अल्पाहार और स्नैक" विक्रेताओं को भी लाइसेंस देने वाले प्राधिकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है। संभव है, वस्तुओं की सूची में उपर्युक्त वस्तुयें भी शामिल हों, यदि ऐसा है, तो मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

औषधियाँ, एलकोहल, आटा, दूध, क्रीम, घी, शीतल पेय, मसाले, पान, उनका मसाला आदि सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट खतरे की सीमा पार कर गई है। काली मिर्च में 60% पपीते के बीज होते हैं।

नागपुर में एक आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता के गोदाम से उनके नौकरों ने चोरी-छिपे औषधि बेच दी। उस औषधि से 52 व्यक्ति अंधे हो गये और 20 व्यक्ति मर गये। जाँच से पता चला कि वह दवा मानवीय उपयोग के योग्य नहीं थी और गोदाम में चूहे मरे पाये गये। इससे पता चलता है कि समाज-विरोधी तत्व किस प्रकार मानवीय पीड़ा और दुख-दर्द से वैभव बटोरना चाहते हैं।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाय। 1968 में केवल 10 मामलों में मुकदमे की कार्यवाही की गई थी, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत 40,000 मामलों में मुकदमे चलाये गये और 20,000 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। दण्ड केवल 6 महीने से 6 वर्ष तक जेल की सजा है, भले ही कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से मर क्यों न जाय।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि कानून के उपबन्धों और दण्ड को और अधिक कठोर बनायें। सर्वोच्च न्यायालय में एक मिलावट के मुकदमे के दौरान यह तर्क दिया गया था कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत तभी दण्ड दिया जा सकता है, जब यह सिद्ध हो जाय कि अपमिश्रण जान-बूझकर किया गया है। संबद्ध व्यक्ति को प्रारम्भ से ही अपराधी माना जाय और कठोरतापूर्वक दण्ड दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम एक

बार तो सार्वजनिक कल्याण का समर्थन किया है । सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सहायता लेकर कानून में संशोधन कर देना चाहिए और कानून को अधिक कठोर बनाना चाहिए । खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने का दण्ड आजीवन काले पानी की सजा कर देनी चाहिए ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : There should be stringent punishment for adulteration. In Andhra Pradesh certain intoxicants are adulterated in toddy. As a result of food adulteration, the health of our masses is going down. The persons found guilty of adulteration should be executed.

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): माननीय सदस्य ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है, उनकी वस्तुत: कोई जरूरत ही नहीं है । उन्होंने सुझाव दिया है कि मिठाइयों, काफी और रंजक द्रव्यों के लिए मात्रा क्रमशः 250 ग्राम 200 ग्राम और 200 ग्राम होनी चाहिए । मद 14 में "तैयार खाद्य 500 ग्राम । गैर-निर्देशित खाद्य 200 ग्राम ।" इसलिए "खाद्य" शब्द को यहाँ उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है जिस अर्थ में इसका अधिनियम और नियमों में प्रयोग किया गया है । इसलिए सभी खाद्य इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । इसलिए नियमों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

दूसरा सुझाव 'अल्पाहार और स्नैक' के बारे में है । हमारी सूची काफी बड़ी है और सदस्य एक नई श्रेणी को जाड़ना चाहते हैं । एसी कोई वस्तु हमने छोड़ी ही नहीं है, जो हमारी सूची में न आ गई है; अतः नियमों में संशोधन करना अनावश्यक होगा ।

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि व्यापक पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है । मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श करके इस मामले की और आगे जाँच कराना चाहता हूँ । वर्ष 1964 में इस मामले पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया था और मार्च, 1965 में संशोधनचारी अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार दण्ड को और अधिक कठोर कर दिया गया था । अब न्यूनतम दण्ड छः महीने की कैद और 1,000 रु० जुर्माना है ।

अब मुख्य कठिनाई स्थानीय संस्थाओं और नगरपालिकाओं द्वारा कानून के कार्यान्वियन करने की है । उनके पास इतना धन नहीं है कि वे निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकें । इसलिए सफाई निरीक्षकों से ही ये संस्थायें खाद्य निरीक्षक का कार्य कराती हैं । उनके पास पर्याप्त संख्या में नमूनों का चयन करने और उनकी जाँच करने हेतु पर्याप्त समय नहीं होता; परन्तु जब भी वे जाँच करते हैं, तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

समग्र क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है । अगर केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा की जाय कि वह प्रत्येक स्थानीय संस्था द्वारा कानून के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, तो यह अत्यधिक बड़ी माँग होगी । अगर संसद सदस्यों की सलाहकार समिति द्वारा बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, तो मैं उसके द्वारा सुझाए गये उपायों पर अवश्य विचार करूँगा ।

मिलावट करने के अनेकों तरीके हैं । अपमिश्रण से किसी भी राष्ट्र के चरित्र और सामाजिक प्रवृत्ति का पता चलता है । अगर राजनीतिक दल और संसद सदस्य प्रशासनिक तंत्र के बाहर इस मामले को उठायें, तो बेहतर परिणाम उपलब्ध हो सकेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरे पहले संशोधन के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि मिठाइयाँ सूची में शामिल हैं, मैं इसे ही सही मान लेता हूँ। दूसरे संशोधन के सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चाय और आमलेट बेचने वाले स्टालों को भी नियम 50 के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी किये जायेंगे ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे विचार में ऐसा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि खाद्य निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसरण में खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 में जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 992 में प्रकाशित हुए थे और 9 अगस्त, 1971 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किये जायें अर्थात् :

(एक) नियम 3 में खण्ड (1) में मद 22 क के पश्चात् यह अन्त:स्थापित किया जाय :

"22 ख.	मिठाई	250 ग्राम
	काफी	200 ग्राम
	रंग मिलाने वाली वस्तुएँ	200 ग्राम

(दो) नियम 3 में खण्ड (6) में, उप खंड (क) में खण्ड (द) के पश्चात् यह अन्त:स्थापित किया जाय :

(घ) जलपान तथा अल्पहार"।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पूर्व मैं यह घोषणा करना चाहता हूँ कि निम्नलिखित तीन विधेयक कल, 21 दिसम्बर, 1971 को लिये जायेंगे और निपटाये जायेंगे :

(1) संघ राज्यक्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक।

(2) समवाय विधि (संशोधन) विधेयक।

(3) संविधान (27 वाँ संशोधन) विधेयक।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 21 दिसम्बर 1971/30 अग्रहायण, 1893 (शक) के 10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Tuesday, December 21, 1971/ Agrahayana 30, 1893 (Saka)

New India Printing Press, Khurja